भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका

प्रभात कुमार ओझा

जिस प्रकार से संघीय स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए नाम मात्र अध्यक्ष (राष्ट्रपति) तथा वास्तविक शासन प्रमुख (प्रधानमंत्री) की व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्मित मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख तथा राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता दी गयी है।

राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों (राज्य मंत्री परिषद) अधिकारियों द्वारा करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। समस्त आज्ञाएं एवं लिखित प्रलेख राज्यपाल के नाम पर विधिवत प्रमाणिक किए जाते हैं जो उनके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किये जायेगें। भारतीय सुविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा। जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान मण्डल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।